24.3.25 पत्रावली पेश हुई निर्णय प्रकरण
से लिखाया जाकर रिकॉर्ड न्यायालय
से हटाया गया निर्णय प्रति प्रकरण
से तहसीलदार अलवर को भिजवाई
जाकर बाद तकमील पत्रावली
नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 31	30.07.2024	136 LR Act	२५.03.2025

उनवान

1:–याकूब पुत्र ही मेरा जाति मेव निवासी ग्राम कारौली तहसील व जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1:– राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार बहादरपुर तहसील अलवर लेण्ड होल्डर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1407 रकबा 6 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.07 हेक्टर व साबिक खसरा नम्बर 1421 रकबा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2243 रकबा 0.19 हेक्टर व साबिक खसरा नम्बर 1485 रकबा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2344 रकबा 0.15 हेक्टर व साबिक खसरा नम्बर 1971 रकबा 1 बीधा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 3244 रकबा 0.57 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 हैक्टर ग्राम कारोली तहसील व जिला अलवर में वाके है जो आराजी इस प्रार्थनापत्र में विवादित आराजी है और विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जा रही है कि प्रार्थी को गाव मे याकूब उर्फ हम्मू के नाम से भी जाना जाता है इसी कारण से गलत इन्द्राज दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का नाम याकूब है और उसके पिता का नाम सुमेर है किन्तु कागजात माल जमाबन्दी व इन्तकाल नामान्तकरण आदि में प्रार्थी का नाम गलती से हाकमदीन दर्ज कर दिया गया है जो इन्द्राज गलत है और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिस इन्द्राज को कलमजन करवाकर प्रार्थी हाकमदीन के स्थान पर याकूब करवाना चाहता है और इस बाबत दुरुस्ती कराना वाहता है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत श्रीमान की सेवा में पेश किया जा रहा है

प्रार्थी के पैनकार्ड व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम याकूब ही अंकित है किन्तु कर्मचारीयो की गलती से कागजात माल मे याकूब की जगह हाकमदीन दर्ज कर दिया गया है जिसको दुरुस्त कराया जाना अति आवश्यक है

विवादित आराजी ग्राम कारोली तहसील अलवर जिला अलवर मे स्थित है इसलिये उक्त प्रार्थनापत्र को सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है इसलिये यह प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ना किसी देरी के पेश है कि प्रार्थी का नाम दुरुस्त न किये जाने से प्रार्थी को भारी नुक्सान हो रहा है उसके हकूक जायल हो रहे है इसलिये इस गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराया जाना अति आवश्यक है अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर नायब तहसीलदार साहब बहादरपुर के नाम दस्ती हुक्म फरमाया जाये कि वो कागजात माल नामान्तकरण इन्तकाल मे हाकमदीन की जगह प्रार्थी का सही नाम याकूब दर्ज करे और इस बाबत दुरुस्ती की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट पत्रॆांक भू0अ0/2024/147 दिनॆांक 08–1–2025 के अनुसार वाके ग्राम इंद्रा कॉलोनी तहसील अलवर के खसरा नंबर 3244/0.37, 3276/0.43, स्थिति मुताबिक जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन में रमजान हाकमदीन पुत्रान सुमेरखां हिस्सा पूर्ण जाति मेव सा देह खातेदार ख.न. 3244/0.44 है0 तथा याकूब पुत्र सुमेर खान हि.7/18 रमजान पुत्र सुमेर हि. 7/18 खसरा नम्बर 3276/0.43 राहिन ABAGB कि० बास दर्ज रिकोर्ड है। एंव ग्राम कारोली, तहसील अलवर के खसरा नंबर 2223/0.08, 2243/0.19, 2344/0.15 की स्थिति मुताबिक जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन में रमजान हाकमदीन पुत्रान सुमेरखा हिस्सा पूर्ण जाति मेव सा देह खातेदार राहिन ABAGB कि० बास दर्ज रिकोर्ड है।

मुताबिक जमाबन्दी भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त सम्वंत 2051–2070 में दर्ज की स्थिति निम्न प्रकार

हाल राजस्व रिकार्ड की स्थिति			सम्वत 2051 की स्थिति	
ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	खसरा नम्बर	रकबा बीघा/बिस्वा
कारोली	2223	0.08	1407	6 बिस्वा
	2243	0.19	1421	15 बिस्वा
	2344	0.15	1485	12 बिस्वा
इन्द्रा कालोनी	3244	0.37	1971	1 बीघा 9 बिस्वा
	3276	0.43	———	———

भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वंत 2051–2070 में उक्त आराजी में रमजान, हाकमदीन पिता सुमेर खां कौम मेव स० भाग खातेदार दर्ज रिकोर्ड है मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 की उक्त आराजी में रमजान, हाकमदीन पिता सुमेर खां कौम मेव स० भाग खातेदार राहिन ABAGB कि० बास दर्ज रिकोर्ड है मुताबिक जमाबन्दी सम्वंत 2068–2071 की उक्त आराजी में रमजान, हाकमदीन पिता सुमेर खां कौम मेव स० भाग खातेदार राहिन ABAGB कि० बास दर्ज रिकोर्ड है।

मुताबिक जाँच रिपोर्ट के जर्ये नामान्तकरण संख्या 88 विरासत निर्णय दिनांक 12/05/1993 सुमेर पुत्र मोजू फोत के बजाय रमजान, हाकमदीन पिता सुमेर खां कौम मेव सा. देह खातेदार स्वीकृत होकर अमल दरामद हुआ है। जो वर्तमान में चला आ रहा है कोई राजस्व त्रुटी नहीं हुई है जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन उक्त में खसरा नम्बरो में दर्ज हाकमदीन पिता सुमेरखां को प्रार्थी जयें पैन कार्ड, आधार कार्ड संख्या 5087 7353 5607 से याकूब पुत्र सुमेरखां जाति मेव राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्त का अनुतोष चाहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अतः मुताबिक जाँच रिपोर्ट के जर्ये नामान्तकरण संख्या 88 विरासत दिनांक [illegible]/05/1993 के सुमेर पुत्र मोजू के फोत होने पर रमजान, हाकमदीन पिता सुमेर खां कौम [illegible] सा. देह खातेदार स्वीकृत होकर अमल दरामद हुआ है जो वर्तमान में चला आ रहा है [illegible] राजस्व त्रुटी नहीं हुई है रिपोर्ट भिजवाई गई है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जर्ये नामान्तकरण संख्या 88 विरासत दिनांक 12/05/1993 के सुमेर पुत्र मोजू के फोत होने पर रमजान, हाकमदीन पिता सुमेर खां कौम मेव सा. देह खातेदार स्वीकृत होकर अमल दरामद हुआ है जो वर्तमान में चला आ रहा है कोई राजस्व त्रुटी नहीं हुई है जो आदिनांक तक हाल राजस्ब रिकार्ड मे बदस्तूर चला आ रहा है

उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र आराजी का विरासत नामान्तकरण अनुसार अंकन सही एंव सत्य है किसी भी प्रकार की त्रृटि राजस्व अभिलेख मे होना जाहिर नही पाया गया है नाही बन्दोबस्त के दौरान का मामला बनना पाया जाता है

जिससे प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 24-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर